



सराहनीय कार्य कानपुर देहात पुलिस



#CRACKDOWN

प्रेस नोट

दिनांक 06.05.2026

लूट/छिनैती/चोरी के अपराध कारित करने वाले 04 अभियुक्तों को कानपुर देहात पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार

अभियुक्तों के कब्जे से 02 तमन्चा 315 बोर, 03 खोखा कारतूस व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 46,800 रुपये, 01 जोड़ी कान की बाली पीली धातु, 02 अदद कमर बन्द सफेद धातु, व घटना में प्रयुक्त 01 औरा कार सफेद कलर एवं घटना कारित करने वाले औजार कटर मशीन, ताला काटने की छेनी आदि बरामद।

पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन में कानपुर देहात के थाना राजपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना/गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध/आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं चोरी/लूट की घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद कानपुर देहात द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद कानपुर देहात के मार्गदर्शन में, दिनांक 05/06.05.2026 की रात्रि को थाना राजपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक बिना नंबर प्लेट की सफेद औरा कार में सवार संदिग्ध व्यक्तियों का पीछा करने तथा रोकने का प्रयास करने पर नैनपुर पुलिया के पास कार रोकते ही उसमें सवार चालक एवं चालक सीट के पास बैठे व्यक्ति वाहन से उतर कर खेतों की तरफ भागने लगे, जबकि कार में पीछे बैठे दो व्यक्तियों को मौके पर ही पकड़ लिया गया जिन्होंने अपना नाम 1.देशराज पुत्र हीरामन पाल निवासी ग्राम कौरू थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात उम्र 20 वर्ष, 2.अर्पित यादव पुत्र रविन्द्र सिंह निवासी ग्राम कौरू थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात उम्र 21 वर्ष बताया। भाग रहे अन्य दो व्यक्तियों का पीछा करने पर उन संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी जिससे थानाध्यक्ष राजपुर के कान के बगल से एक गोली निकलकर गयी। जिससे वह बाल बाल बचे तथा पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में दो बदमाश पैर में गोली लग जाने से घायल हो गये। घायल व्यक्तियों ने अपना नाम, पता 1.शिवम पाल उर्फ ज्वाला सिंह पुत्र रामबहादुर निवासी ग्राम जरिहा थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात उम्र 25 वर्ष व 2.अरुण पुत्र नरेन्द्र यादव निवासी मो0 तिलक नगर थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया उम्र 26 वर्ष बताया गया। गिरफ्तार शुदा दोनों अभियुक्तगण के कब्जे से 02 देशी तमंचा 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, 03 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, व घटना में प्रयुक्त अदद

और कार रंग सफेद व पीली धातु के आभूषण तथा कुल 46,800 रुपये बरामद हुए तथा अभियुक्तगण उपरोक्त को उनके अपराध से अवगत कराते हुए अन्तर्गत धारा 109(1)/317(2)/317(4)बीएनएस व धारा 35(1)बीएनएसएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट में नैनपुर पुलिस के पास से हिरासत पुलिस में लिया गया। फील्ड यूनिट के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पुलिस मुठभेड़ के दौरान अभियुक्तगण द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने व अवैध तमंचा व कारतूस बरामद होने एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना राजपुर पर मु0अ0सं0 53/2026 धारा 109(1)/317(2)/317(4) भारतीय न्याय संहिता व धारा 35(1) बीएनएसएस व 3/25/27 शस्त्र अधिनियम थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात पंजीकृत किया गया।

विदित हो कि दिनांक 01/02.05.2026 की रात्रि में समय करीब 01.30 बजे थाना राजपुर क्षेत्रान्तर्गत 01 व्यक्ति मोटर साइकिल सवार तथा पीछे बैठी मोटर साइकिल सवार की माता जी को एक और गाडी में सवार 04 व्यक्ति नाम,पता,अज्ञात द्वारा रोककर तमंचा दिखाकर डराकर मोटर साइकिल सवार की माताजी के पहने हुए जेवर जंजीर,कानों के ब्रजबाला छीनकर भाग गये। जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना राजपुर पर मु0अ0सं0 052/2026 धारा 309(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1. अरुण पुत्र नरेन्द्र यादव निवासी मो0 तिलक नगर थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया उम्र 26 वर्ष ।
2. शिवम पाल उर्फ ज्वाला सिंह पुत्र रामबहादुर निवासी ग्राम जरिहा थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात उम्र 25 वर्ष ।
3. देशराज पुत्र हीरामन पाल निवासी ग्राम कौरू थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात उम्र 20 वर्ष ।
4. अर्पित यादव पुत्र रविन्द्र सिंह निवासी ग्राम कौरू थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात उम्र 21 वर्ष ।

अभियुक्त अरुण उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. अ0सं0 232/16 धारा 379/411/413/467/468/471 भा0द0वि0 थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात।
2. अ0सं0 20/22 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात ।
3. अ0सं0 79/20 धारा 3/25 भा0द0वि0 थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात ।
4. अ0सं0 101/20 धारा 3(1) भा0द0वि0 थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात ।
5. अ0सं0 650/18 धारा 307 भा0द0वि0 थाना बिल्हौर जनपद कानपुर नगर ।
6. अ0सं0 543/18 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना बिल्हौर जनपद कानपुर नगर ।
7. अ0सं0 68/19 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना बिल्हौर जनपद कानपुर नगर ।
8. अ0सं0 148/19 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम थाना बिल्हौर जनपद कानपुर नगर ।
9. अ0सं0 71/19 धारा 307 भा0द0वि0 थाना ककवन जनपद कानपुर नगर ।
10. अ0सं0 72/19 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना ककवन जनपद कानपुर नगर ।
11. अ0सं0 73/19 धारा 102/41 सीआरपीसी व 411 भा0द0वि0 थाना ककवन जनपद कानपुर नगर ।

12. अ०सं० 588/21 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात ।
13. अ०सं० 939/16 धारा 307/401 भा०द०वि० थाना औरैया जनपद औरैया ।
14. अ०सं० 978/16 धारा 41 सीआरपीसी व 411/413/467/468/471 भा०द०वि० थाना औरैया जनपद औरैया ।
15. अ०सं० 135/17 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम थाना औरैया जनपद औरैया ।
16. अ०सं० 136/20 धारा 379/411 भा०द०वि० थाना औरैया जनपद औरैया ।
17. अ०सं० 163/21 धारा 379/411/413 भा०द०वि० थाना औरैया जनपद औरैया ।
18. अ०सं० 383/21 धारा 323/382/411/413/506 भा०द०वि० थाना औरैया जनपद औरैया ।
19. अ०सं० 741/21 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम थाना औरैया जनपद औरैया ।
20. अ०सं० 993/22 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना औरैया जनपद औरैया ।
21. अ०सं० 423/21 धारा 3/10 गुण्डा अधि थाना औरैया जनपद औरैया ।
22. अ०सं० 424/21 धारा 3/25 आ०अधि० थाना औरैया जनपद औरैया ।
23. अ०सं० 992/22 धारा 307/504/506 भा०द०वि० थाना औरैया जनपद औरैया ।
24. अ०सं० 1128/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना औरैया जनपद औरैया ।
25. अ०सं० 346/24 धारा 305 बीएनएस थाना औरैया जनपद औरैया ।
26. अ०सं० 96/26 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना औरैया जनपद औरैया ।
27. अ०सं० 154/23 धारा 379/411 भा०द०वि० थाना औरैया जनपद औरैया ।
28. अ०सं० 447/14 धारा 323/324/452/506/504 भा०द०वि० थाना दिबियापुर जनपद औरैया ।
29. अ०सं० 410/23 धारा 401 भा०द०वि० थाना अजीतमल जनपद औरैया ।
30. अ०सं० 412/23 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना अजीतमल जनपद औरैया ।
31. अ०सं० 52/2026 धारा 309(4) बीएनएस थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात ।
32. अ०सं० 53/2026 धारा 109(1)/317(2)/317(4) बीएनएस, 35(1) बीएनएसएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात ।
33. अ०सं० 93/2026 धारा 304(2) बीएनएस थाना इकदिल जनपद इटावा ।

अभियुक्त शिवम पाल उर्फ ज्वाला सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. अ०सं० 0192/2024 धारा 103(1)/61(2)(a) बीएनएस व 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात ।
2. अ०सं० 52/2026 धारा 309(4) बीएनएस थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात ।
3. अ०सं० 53/2026 धारा 109(1)/317(2)/317(4) बीएनएस, 35(1) बीएनएसएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात ।
4. अ०सं० 93/2026 धारा 304(2) बीएनएस थाना इकदिल जनपद इटावा ।

अभियुक्त देशराज उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. अ0सं0 52/2026 धारा 309(4) बीएनएस थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात ।
2. अ0सं0 53/2026 धारा 109(1)/317(2)/317(4) बीएनएस, 35(1) बीएनएसएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात ।
3. अ0सं0 93/2026 धारा 304(2) बीएनएस थाना इकदिल जनपद इटावा ।

अभियुक्त अर्पित यादव उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. अ0सं0 52/2026 धारा 309(4) बीएनएस थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात ।
2. अ0सं0 53/2026 धारा 109(1)/317(2)/317(4) बीएनएस, 35(1) बीएनएसएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात ।
3. अ0सं0 93/2026 धारा 304(2) बीएनएस थाना इकदिल जनपद इटावा ।

बरामदगी:-

1. कब्जे से 02 तमन्चा 315 बोर, 03 खोखा कारतूस 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर ।
2. जामा तलाशी से 46,800 रुपये ।
3. 02 कमर पेटी सफेद धातु, 02 कान के बाला पीली धातु ।
4. घटना में प्रयुक्त 01 लॉक कटर, 01 सब्बल नुकीला, 01 सब्बल धारदार ।
5. 01 औरा कार चैचिस नं0 MALB241CLTM462288*C ।

गिरफ्तार करने वाली टीम थाना राजपुर पुलिस-

1. थानाध्यक्ष श्री सनत कुमार
2. उ0नि0 श्री गुरेन्द्र प्रताप सिंह
3. उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार
4. उ0नि0 श्री विजयपाल सिंह
5. हे0का0 579 विवेक सिंह
6. का0 1140 गौरव कुमार
7. का0 58 सर्वजीत सिंह
8. का0 636 शिवप्रकाश
9. चालक का0 विनीत कुमार